"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 123] रायपुर, शनिवार, दिनांक 30 मार्च 2013—चैत्र 9, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/09/2013/वाक/पांच (14).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की अनुसूची-1 की " शक्ति चलित कृषि उपकरण " से संबंधित प्रविष्टि क्रमांक 58 में की गई अपेक्षाओं के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 10-31/2007/वाक/पांच (21) दिनांक 02-04-2007 में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल को जोड़ा जाता है, यथा,—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	वस्तु का नाम (2)
(30)	धान का रोपा लगाने की मशीन (पैडी ट्रांसप्लांटर)

2. यह अधिसूचना दिनांक 01-04-2013 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. मिश्र, अपर मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2013

क्रमांक एफ-10/09/2013/वाक/पांच (14).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/09/2013/वाक/पांच (14) दिनांक 28-03-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. मिश्र, अपर मुख्य सचिव.

Raipur, the 28th March 2013

NOTIFICATION

No. F-10/09/2013/CT/V (14).—In pursuance of the provisions specified in S. No. 58 of Schedule-I of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), relating to "Power operated agriculture implements", the State Government hereby adds the goods specified in the schedule below in the notification No. F-10-31/2007/CT/V (21) dated 02-04-2007, namely :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of goods (2)
(30)	Paddy Transplanter

2. This notification shall come into effect from 01-04-2013.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. S. MISRA, Additional Chief Secretary.

रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/09/2013/वाक/पांच (15).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 में राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा,—

संशोधन

नियम 8 के उप-नियम (3) की तालिका के अनुक्रमांक 1 से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाय :—

1. सिविल निर्माण कार्य, इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होंगे,—
   (क) एयर कंडीशनर, एयरकूलर अथवा एयर कंडीशनिंग उपकरण का प्रदाय तथा संस्थापन
   (ख) विद्युत सामान एवं उपकरण का प्रदाय तथा फिटिंग

(ग) एलिवेटर (लिफ्ट) एवं एस्केलेटर का फेब्रिकेशन तथा संस्थापन.

(i) सड़क निर्माण:—

(1)	जब इसमें उपयोग किया जाने वाला माल छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर से क्रय किया जाय.	0.6 प्रतिशत
(2)	जब इसमें उपयोग किया जाने वाला माल छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर से प्राप्त/क्रय किया जाय.	1 प्रतिशत

(ii) भवनों, पुलों, बांधों, बैराजों, नहरों, मोड़ों का निर्माण :—

(1)	जब इसमें उपयोग किया जाने वाला माल छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर से क्रय किया जाय.	1 प्रतिशत
(2)	जब इसमें उपयोग किया जाने वाला माल छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर से प्राप्त/क्रय किया जाय.	2 प्रतिशत

यह संशोधन दिनांक 01-04-2013 से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. मिश्र, अपर मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2013

क्रमांक एफ-10/09/2013/वाक/पांच (15).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/09/2013/वाक/पांच (15) दिनांक 28-03-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. मिश्र, अपर मुख्य सचिव.

Raipur, the 28th March 2013

NOTIFICATION

No. F-10/09/2013/CT/V (15).—In exercise of the powers conferred by section 71 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby makes the following amendment, with effect from the date of publication in the official gazette, in the Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006, namely,—

AMENDMENT

In sub-rule (3) of rule 8, for entry relating to S. No. 1 of the table, the following entry shall be substituted :—

1. Civil construction works, excluding following :—

(a) supply and installation of air-coolers or air-conditioners, air conditioning equipment:

(b) supply and fitting of electrical goods and equipments:

(c) fabrication and installation of elevators (lifts) and escalators:

(i) Roads :—

(1)	**When the goods for use by him are purchased within the State of Chhattisgarh.**	0.6 Percent

	(2)	When the goods for use by him are received/purchased from outside the State of the Chhattisgarh.	1 Percent
(ii)	Buildings, dams, barrages, canals, diversions :—		
	(1)	When the goods for use by him are purchased within the State of Chhattisgarh.	1 Percent
	(2)	When the goods for use by him are received/purchased from outside the State of the Chhattisgarh.	2 Percent

This Amendment shall come into effect from 01-04-2013.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. S. MISRA, Additional Chief Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.